

नम्बर
अहमक
जारी

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

02.02.24

पत्रावली तहत हुई। वही लक्षणी अनुपस्थित।
वकील व उनके हाथों की न्यायालय द्वारा आवाज
लगवायी गई। साथ 5:00 बजे तक इंतजार किया।
तथा पुनः आवाज लगवायी गई। इसके बावजूद वकील
व उनके हाथों उपस्थित नहीं आये। अतः हाथीपत्र
212 RTI वकील व उनके हाथों की अन्त हाजिरी-
अहम केरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल नुमा होकर नम्बर से कम है। बाकतविक्रम
तकनीक इस वाद के साथ सलग्न है।

अखण्ड अधिकारी
मोदिन्दगढ़ (अलवर) राज०